1729 (14)

INDIA NON JUDICIAL

25000

पच्चीस हजार रुपये

0400 406802

4 APR 2005

478
A OHE HOMES
BUY DEED # 19 A

1729

बयनामा

बयनामा	7,00,000/—रू०
मालियत	7,00,000/—रू०
स्टाम्प	70,000/—रू०

हम कि एडवांस ऐज रियलटर्स एण्ड डेवलपर्स प्रा० लि० 213–सुखदेव विहार नई दिल्ली द्वारा डायरेक्टर मौहम्मद अजमल पुत्र श्री मौहम्मद अरशद प्रथम पक्ष (विक्रेता) एवं एडन होम्स प्रा० लि० X-51 ओखला इण्डस्ट्रियल एरिया फेज II नई दिल्ली द्वारा डायरेक्टर मौहम्मद अकबर पुत्र श्री मौहम्मद अरशद द्वितीय पक्ष (क्रेता), के हैं।

जो कि आराजी काश्त भूमिधरी खाता सं० 288 खसरा सं० 478 मि० रकबई 0.830 हैक्टेयर लगानी सालाना 15.60 रू० व खाता सं० 587 खसरा सं० 479 रकबई 0.765 हैक्टेयर लगानी सालाना 18.90 रू० जिसमें जमीन बाहद सर्किल नं० 4 वाके ग्राम हरथला एहतमाली तहसील व जिला मुरादाबाद जिस पर विक्रेता बहैसियत भूमिधरी मालिक काबिज व दखील है तथा प्रथम पक्ष (विक्रेता) को आराजी मजकूर की बाबत हर अख्तयारात मय इन्तकालात हासिल है। जो इस समय तक प्रत्येक प्रकार से पूर्णरूपेण स्वच्छ व विवाद रहित है। इस सम्पत्ति पर

INDIA NON JUDICIAL

25000

पच्चीस हजार रुपये

04DD 400803

4 APR 2005

किसी भी प्रकार का कोई कार्य सरकारी या गैर सरकारी आदि नहीं है। यह भूमि प्रत्येक प्रकार के रहन, बय, हिबा, विरासत, जमानत कुर्की नीलामी आदि से पूर्णतया मुक्त है। आराजी वक्फ या कस्टोडियन की सम्पत्ति नहीं है तथा इस सम्पत्ति को विक्रय करने के सम्पूर्ण अधिकार प्रथम पक्ष (विक्रेता) को प्राप्त है। इस सम्पत्ति को हस्तांतरित करने में प्रथम पक्ष (विक्रेता) पूर्णतया सक्षम है कोई अदालती इन्तकाल बाधा नहीं है इसकी पूर्ण संतुष्टि द्वितीय पक्ष (क्रेता) को करा दी गयी है। चूंकि इस सम्पत्ति की कीमत भी मुनासिब मिल रही है लिहाजा प्रथम पक्ष (विक्रेता) ने बहालत दुरूस्ती होश हवास बगैर किसी बहकावे व सिखाये बिना दबाव नशापान किसी के खूब सोच समझकर तमामी शय मुश्तेहा मजकूर हर किस्म व मय हक रास्ता आमदोरफ्त व मय दीगर कुल हक व हकूक मुतालिका उसकी बिना छोड़े किसी जुज व हक बिल ऐवज मुबलिग 7,00,000/- रूपये सात लाख मात्र आधे जिसके 3,50,000/- रूपये तीन लाख पचास हजार रूपये होते है द्वितीय पक्ष क्रेता **(एवन होम्स प्रा0 लि0 X-51 ओखला इण्डस्ट्रियल एरिया फेज II नई दिल्ली द्वारा डायरेक्टर मोहम्मद अकबर पुत्र श्री मोहम्मद अरशद)** को बय और फरोख्त कामिल कतई कुल जो रकम उसका तफसील जैल द्वितीय पक्ष (क्रेता) से वसूल पाकर तमामी शय मुश्तहा मजकूर कब्जा का कब्जा व दखल द्वितीय पक्ष (क्रेता) को दे दिया है आज के बाद से आराजी मजकूर की बाबत प्रथम पक्ष (विक्रेता) व वारिसान प्रथम पक्ष (विक्रेता) का कोई ताल्लुक व वास्ता नहीं बाकी

भारतीय गैर न्यायिक

Rs 20000 रु

बीस हजार रुपये

RUPEES

20000

रुपये

INDIA NON JUDICIAL

03CC 319269

4 APR 2005

नही रहा है और न ही आइन्दा होगा द्वितीय पक्ष (क्रेता) को पूरा हक हासिल होगा कि वह कागजात कानूनी में प्रथम पक्ष (विक्रेता) का नाम खारिज कराकर अपना नाम दर्ज करा ले अगर बाद को किसी वक्त में किसी फेल प्रथम पक्ष (विक्रेता) या कर्जख्वाह या औलाद या अन्य किसी दीगर शख्स की देनदारी या कानूनी नुक्स से शय मुबईया का जुज या कुल कब्जा द्वितीय पक्ष (क्रेता) या वारिसान द्वितीय पक्ष (क्रेता) से निकल जाये या बगरज तहफ्फुज शय मुबईया द्वितीय पक्ष (क्रेता) का कुल सर्फा मजीद खर्चा या अदा करना पड़े तो उसी कदर कुल जरे समन की वापसी प्रथम पक्ष (विक्रेता) अपनी जात व दीगर जायदाद मनकूला व गैर मनकूला हर किस्म अपनी से कुल हर्जे व खर्चे अदालती सहित देनदार व जिम्मेदार प्रथम पक्ष (विक्रेता) होगा। बनीज आज तक की तमामी कानूनी देनदारियां व जिम्मेदारियां प्रथम पक्ष (विक्रेता) की होगी अब द्वितीय पक्ष (क्रेता) को हक व अधिकार है कि वह कागजात सरकारी से प्रथम पक्ष (विक्रेता) का नाम खारिज कराकर अपना नाम दर्ज करा ले प्रथम पक्ष (विक्रेता) को कोई उज्र व एतराज नही होगा पक्षकारान के फोटो गवाहान की पहचान पर श्री सुभाष चन्द मथुर एडवोकेट ने सत्यापित किये है।

नोट:-विक्रीत आराजी का मूल्यांकन, मूल्यांकन सूची के परिशिष्ट 1 उपखण्ड "क" के अनुसार 1,00,000/- रू0 प्रति एकड़ निर्धारित है तदनुसार स्टाम्प अदा किया गया है। विक्रेता अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति का सदस्य नहीं है। आराजी पूर्णतः खेती की भूमि है मौके पर तथा आसपास खेती हो रही है आराजी में कोई पेड़ कूप भवन आदि नहीं है।

तफसील वसूली जरे समन मुबलिग 7,00,000/- रू0 नगद प्रथम पक्ष (विक्रेता) ने द्वितीय पक्ष (क्रेता) से कब्ल रजिस्ट्री बयनामा हाजा प्राप्त कर लिये है।

प्रथम पक्ष (विक्रेता)

द्वितीय पक्ष (क्रेता)

साक्षी

साक्षी

बयनामा हाजा आज दिनांक 7-4-2006 को बमुकाम मुरादाबाद बहुकचहर पक्षकारान बमशवरा श्री सुभाष चन्द्र माथुर एडवोकेट सचिन मिश्रा ने टाईप किया ।

4 APR 2005

मौका आराजी काश्त भूमिधरी वाक़ा खसरा नम्बर 573 मि० रकबई 0.6230

573 मि० रकबई 0.765 हे० वाके ग्राम हरथला तहसील व जिला मुरादाबाद

हकदारी शहनाज़ पत्नी रिफाकत

मौजूदा खलिहान

विक्रीत आराजी की 200 मीटर की सीमा में खेती की हो रही है

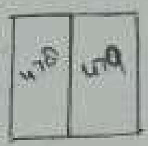

- 4 APR 2005

[illegible]

मुख्य रोकड़िया
कोषागार, [illegible]

[illegible]

बही I जिल्द 5073 के पृष्ठ 123/132 में
क्रमांक 1728 पर आज दिनांक 7/4/05 को
रजिस्ट्री की गई।

उप निबन्धक द्वितीय
मुरादाबाद

[illegible] 1 जिल्द 6017 [illegible] में

क्रमांक [illegible] पर [illegible] दि॰ [illegible] को

रजिस्ट्री की गई।

[illegible] द्वितीय

[illegible]दाबाद